

1580
31/03/15

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग-1

संख्या- /XXXVI(1)/2015-184/2001-टी0सी0-IV
देहरादून: दिनांक: 31 मार्च, 2015

अधिसूचना / नियुक्त

श्री राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39, सन 1987) की धारा-6 की उपधारा (3) संपादित उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 के नियम 6(7) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की सहमति से श्री प्रशान्त जोशी, मा0 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम), देहरादून को सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की राहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा सं.

(के0डी0 भट्ट)
प्रमुख सचिव

संख्या- (1) /XXXVI(1)/2015-184/2001-टी0सी0-IV तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा सं.

(मनीष मिश्र)
अपर सचिव

संख्या- 85 (2) /XXXVI(1)/2015-184/2001-टी0सी0-IV तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 2- श्री प्रशान्त जोशी, मा0 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम), देहरादून।
- 3- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
- 4- सभसरा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
- 5- प्रमुख सचिव, वित्त / प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- 7- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 9- कार्मिक अनुभाग / एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा सं.

(मनीष मिश्र)
अपर सचिव